

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, (रसद) प्रतापगढ़

दिनांक : 30.07.2025

क्रमांक: रसद/न.उ.मू.दु/विज्ञप्ति/2025/721-28

-: विज्ञप्ति :-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ17(1)खावि/विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं पत्रांक एफ 17(5)खावि/न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1)के अन्तर्गत प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने हेतु सशुल्क आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2025 से कार्यालय जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ (मिनी सचिवालय) से (राजकीय अवकाश को छोड़कर) 100/- रु. का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ के पक्ष में या डी.डी. बनवाकर जमा कराकर प्राप्त किए जा सकते हैं एवं इसी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 04.09.2025 तक कार्यालय समय में जमा कराये जा सकेंगे। नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	आरक्षण
01	लुहारखाली	लुहारखाली	दलोट	सामान्य
02	करौली	ओडवाडा	प्रतापगढ़	सामान्य
03	सोमपुर कमोलिया	पिलीखेड़ा	छोटीसादड़ी	अनुसूचित जनजाति

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खावि/विधि/08/दिनांक 17.03.2016 एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों एवं पत्रांक एफ17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में योग्यता, चयन मापदण्ड एवं अन्य दिशा-निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट <https://food.rajasthan.gov.in/> व जिला रसद कार्यालय, प्रतापगढ़ में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

P.T.O.

उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/नहीं भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति विभिन्न अपीलीय/न्यायालयों के निर्णयों के अध्यधीन होगा।


(डॉ. अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर (रसद)
प्रतापगढ़

क्रमांक: रसद/न.उ.मू.दु/विज्ञप्ति/2025/721-28

दिनांक : 30.07.2025

प्रतिलिपि :-

01. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
02. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
03. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आंयुक्त, महोदय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
04. श्रीमान् संभागीय आंयुक्त महोदय, उदयपुर
05. माननीय जिला प्रमुख, जिला परिषद, प्रतापगढ़
06. जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
07. उप निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, प्रतापगढ़/जयपुर
08. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़ को को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।


(डॉ. अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर (रसद)
प्रतापगढ़